न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मंगलराम बनाम जगपत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
दावा	क्र.न. 94/2020
04.10.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एंव वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा के स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/10/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
94 / 2020	2020 / 0202	06.10.2020	04.10.2023

उनवान प्रकरण

1. मंगलराम पुत्र स्व. मानाराम आयु 57 वर्ष
2. जगदीशप्रसाद पुत्र स्व. मानाराम आयु 55 वर्ष
3. सीताराम पुत्र स्व. मानाराम आयु 45 वर्ष

समस्त जाति यादव निवासीगण ढ़ाणी चीमावाली तन् ग्राम अरणिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–वादीगण–

बनाम्

1. गणपत पुत्र चोथमल आयु 55 वर्ष,
2. सोहनलाल पुत्र रामलाल आयु 50 वर्ष,
3. बंशीधर पुत्र रामलाल आयु 47 वर्ष
4. बनवारीलाल पुत्र रामलाल आयु 44 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

समस्त जाति यादव निवासीगण ढाणी मिण्डावाली तन् ग्राम अरणिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

5. मोहरी बेवा मामूराम आयु 86 वर्ष जाति यादव निवासी ढाणी वीमावाली तन ग्राम अरणिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

6. प्रहलाद पुत्र स्व. सुरजाराम आयु 50 वर्ष

7. रामोतार पुत्र स्व. सुरजाराम आयु 40 वर्ष

8. बरजी पत्नि सुरजाराम आयु 75 वर्ष

समस्त जाति यादव निवासीगण ढाणी बाढ़ (ऊंचा झाड) तन् ग्राम अरणिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

9. लिछमण पुत्र स्व. मानाराम आयु 65 वर्ष जाति यादव निवासी ढाणी वीमावाली तन् ग्राम अरणिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

10. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

11. मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा रींगस जिला सीकर (राज0)

12. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महरोली जिला सीकर (राज0)

13. मैनेजर दी सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा रींगस जिला सीकर (राज0)

14. मैनेजर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा रींगस जिला सीकर (राज0)

--प्रतिवादीगण--

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला- नीमकाथाना

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री गिरीराज शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि ग्राम अरणियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के पुराने खसरा नम्बर 913 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 427, 428, 429, 431, 432 बनाये गये व पुराने भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 195 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 430 व 426 बनाये गये हैं। उक्त वर्णित भूमियो बाबत् वादीगण के पिता स्व. मानाराम एवं प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 8 व प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 के पूर्वज स्वर्गीय रामलाल के आपस में भूमियों की अदला–बदली हुयी थी। जिसका अदला–बदली विलेख विधिवत् रूपेण उपपंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर में दिनांक 24.03.1974 को पंजीबद्ध हुआ था। उक्त अदला–बदली विलेख में वर्णित भूमि जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 913 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 यानि 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण 2 ता 4 के पिता स्वर्गीय रामलाल व वादीगण के पिता मानाराम को सम्भला दी थी व उक्त भूमि के बदले प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 के बुजुर्ग स्वर्गीय रामलाल ने पुराने भूमि खसरा नम्बर [illegible] 3 बीघा 5 बिस्वा म से 1 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 195 [illegible] बदले में लेकर इसी अनुसार अपनी भूमियों की अदला –बदली कर अदला–बदली विलेख पजीबद्व कराया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला– नीमकाथाना

चुका था। इसी अनुसार पक्षकारान अदला–बदली के समय से अपनी भूमियों पर पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 8 व वादीगण के पिता के आपसी पारिवारिक समझौते बाहमी अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व में भूमि अदला बदली लेख मे प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 9 के हिस्से में थी। उक्त भूमि के बदले में प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 9 के अन्य भूमिया आयी हुयी है। जिनकी खातेदारी भी पारिवारिक सैटलमेन्ट के अनुसार उनके नाम दर्ज हो चुकी है। इस कारण उनके हिस्से की समस्त भूमि वादीगण के पिता मानाराम के अकेले के तन्हा रूप से आयी हुयी थी। अब वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। इसी कारण उनके स्थान पर अब वादीगण ही उक्त भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त है। इस कारण अदला बदली लेख में वादीगण के पिता एंव प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 9 के बुजुर्गान द्वारा की गयी अदला–बदली में प्राप्त भूमि सम्पूर्ण पर वादीगण को पूर्णतया खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त हो चुके है। उपरोक्तानुसार अदला–बदली विलेख पंजीबद्व होने के समय से ही पक्षकारान अदला–बदली विलेखानुसार ही भूमियों पर काबिज काश्त निरन्तर निर्विघ्न रूप से चले आ रहे हैं। मौके पर कब्जे काश्त में आज तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति या किसी प्रकार की दखल या खलल आज दिन तक पैदा नही की गयी हैं। इसी कारण आपस में सोहार्दपूर्ण वातावरण व आपस में मधुर सम्बन्ध होने की वजह से किसी भी पक्षकार द्वारा राजस्व रिकार्ड मे पूर्ववत खातेदारी इन्द्राज बाबत् कोई विधिक एतराज उत्पन्न नही किया गया, ना ही इसकी कभी आवश्यकता ही महसूस की गयी। अब वर्तमान समय में क्योंकि आज जमीन की कीमते बेतहाशा बढ़ रही हैं और भूमाफिया प्रवृति के लोग आये दिन भूमियों की गलत खातेदारी का फायदा उठाकर नुमायशी विक्रय लेख कराकर भूमि की फौरी तौर पर खरीद कर नाजायज रूप से हैरान व परेशान करने की नई नई घटनाए प्रतिदिन हो रही हैं। इसी कारणवश वादीगण ने समस्त रिकार्ड आदि की नकल प्राप्त की। जिससे वादीगण को खातेदारी अदला–बदली विलेखानुसार दर्ज नही [illegible] पूर्ववत् ही दर्ज रहने की जानकारी हुयी तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को अदला–बदली [illegible] कब्जे काश्त के अनुसार खातेदारी दर्ज कराने बाबत् कहा तो पूर्व में तो हां करते रहे, परन्तु अब दिनांक 20.09.2020 को इस बाबत् कहां तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो जाने पर वादकारण पैदा होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

04/12/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

मजबूर होकर वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा किये जाने का निवेदन किया है कि उपपंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर में पंजीबद्ध रजिस्टर्ड अदला-बदली विलेख दिनांक 24.03.1974 के अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित भूमि तन् ग्राम अरणियां के नवीन भूमि खसरा नम्बर 427 रकबा 1.32 हैक्टर में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा सम्पूर्ण भूमि मे कुल 1/2 हिस्सा का व भूमि खसरा नम्बर 431 रकबा 0.97 हैक्टर मे प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 के नाम दर्ज हिस्सा 1/5 सम्पूर्ण भूमि में कुल 1/2 हिस्से का इस प्रकार उपरोक्त हिस्सो पर वादीगण को बराबर-बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावें व प्रतिवादीगण का नाम उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड से इंद्राज किया जावें तथा वादीगण के नाम दर्ज होने वाली भूमियो को रहनमुक्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे अदला बदली लेख दिनांक 24.03.1974 के अनुसार वादी के हिस्से में आयी भूमियों में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग-उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत ना स्वंय करे ना दीगर से करावे, ना ही वादीगण को जबरन बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कृत्य करें या करावे जिससे वादीगण के विधिक हक हकूक पर कोई विपरित असर पड़ता हो। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से ... उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 5, 9 व 10 की तामील ... व प्रतिवादी संख्या 8 की तामील परिवार के निकटतम सदस्य द्वारा प्राप्त की जाने के बावजूद तामील हाजिर अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 5, 8 से 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने हेतू कई अवसर दिए गए। वकील प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने हेतू 500/— रूपये की कॉस्ट पर भी अवसर दिया गया था। बावजूद अवसरो के भी वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने पर दिनांक 18.05.2023 को वकील प्रतिवादीगण की जवाबदेही बंद की गई थी। इसके पश्चात वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से दिनांक 14.09.2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत प्रतिवादीगण का जवाब देही का अवसर बन्द कर दिये जाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुशरण में जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किये जाने की अनुमति दिये जाने का पेश कर प्रतिलिपि वकील वादीगण को दिलाई जाने पर वकील वादीगण ने जवाब मय काउण्टर क्लेम को रिकार्ड पर लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 19.09.2023 को अंकित किये जाने से प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश किये जाने की अनुमति दी गई। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा जवाब दावा पेश करते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का दिनांक 14.09.2023 को पेश किया गया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने दिनांक 19.09.2023 को नोट प्रेस होना प्रार्थना पत्र पर अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 7 नियम 11 सीपीसी को नोट प्रेस में खारिज किया गया। वकील वादीगण ने दिनांक 05.06.2023 को साक्ष्य वादीगण के मुख्य परीक्षण में मंगलराम पुत्र स्व0 मानाराम का व वादीगण के साक्ष्य गवाहान् में कानाराम पुत्र धन्नाराम एवं प्रभू पुत्र रामचन्द्र के व दिनांक 14.09.2023 को वादी जगदीश प्रसाद के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किए। प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से न्यायालय में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया गया। जिसमें पक्षकारान् प्रतिवादीगण ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व प्रतिवादीगण द्वारा पेश काउण्टर क्लेम बरूए राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादीगण ने वादपत्र मे प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर ... बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने निस्तारण बाबत सहमति व्यक्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम बीमाला आधार जमाबदी सम्वत् 2074–2077 की कुल 4 जमाबन्दीयॉ, जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 की दो जमाबन्दियॉ, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, रजिस्टर्ड अदला–बदली लेख दिनाकित 24.03.1974 की प्रमाणित प्रतिलिपि, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण मे पेश वादी व गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों, पक्षकारान् के मध्य आपस मे हुए राजीनामा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 427 से 429, 431, 432 पुराने खसरा नम्बर 913 से एव भूमि खसरा नम्बर 426 पुराने खसरा नम्बर 195 से व भूमि खसरा नम्बर 430 पुराने खसरा नम्बर 192 से बनना प्रकट होता है। उक्त पुराने भूमि खसरा नम्बरान् मे अंकित भूमियों का पक्षकारान वादीगण के पिता स्व0 मानाराम व प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 रामलाल के मध्य आपस मे भूमियों की अदला बदली जरिये रजिस्टर्ड "बदल का लेख" के द्वारा दिनाक 24.07.1974 को उप पंजीयक श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक किया जाना प्रकट होता है। उक्त भूमियो पर अदला–बदली लेख अनुसार पक्षकारान् के काबिज काश्त होना तथा आपसी पारिवारिक बाहमी समझौते अनुसार मौके पर काबिज काश्त होना प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त भूमियॉ पक्षकारान् को अपने पूर्वजो से प्राप्त होना प्रतित होती है। जिसको अपने–अपने कब्जा काश्त अनुसार अपने अपने नाम दर्ज करवाने हेतु राजीनामा में अंकित विवरणानुसार खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने हेतु वादपत्र को पेश किया जाना प्रकट होता है। उक्त भूमि वादीगण के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता से लगभग 35–40 वर्षो पूर्व जरिये अदला–बदली लेख से कय किया जाकर वादी का अपने परिवार सहित मौके पर काबिज होना स्पष्टतः प्रकट होता है। उक्त वादपत्र मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के जवाब दावा के साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा[illegible] कर प्रतिदावा मे वर्णित विवरणानुसार वादीगण के दावे के [illegible] प्रतिदावा को भी बरूए राजीनामा दिनांकित 19.09.2023 के [illegible] जाकर खातेदारी अधिकारो की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

उद्घोषणा किये जाने हेतु उक्त प्रस्तुत वादपत्र व प्रतिदावा का पेश किया जाना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की वादीगण साक्ष्य मे पेश वादीगण मगलराम पुत्र मानाराम, जगदीश प्रसाद पुत्र मानाराम व वादीगण साक्ष्य गवाहान् मे कानाराम पुत्र धन्नाराम व प्रभु पुत्र रामचन्द्र यादव के द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रों से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होना प्रकट होता है। पक्षकारान् को उक्त भूमियो के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान् वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांकित 19.09.2023 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने एंव पक्षकारान् के नाम हजफ किये जाने की घोषणा की जाती है। राजीनामा दिनांक 19.09.2023 को निर्णय का भाग बनाया जाता है तथा राजीनामा डिक्री जूज रहे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी[illegible] भूमि के कब्जा में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे [illegible] से एंव वादीगण को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

a के द्वारा यदि ग्राम पंचायत अरनिया से उक्त भूमियों का पट्टा आदि बनाये तो किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करेगें एंव ना ही दीगर से करायेगें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

04/10/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जिला–नीमकाथाना

यह निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/10/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:00:56 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जिला–नीमकाथाना